

न्यायालय: अपर सिविल जज(जू०डि०), कोर्ट सं० 21 , आजमगढ़।

मुतर्फका वाद संख्या -77/2022

सम्बन्धित मुकदमा संख्या-347/2005

सुरसत्ती आदि बनाम रामानन्द आदि।

दिनांक-09.12.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर सायल अनुपस्थित। बार-बार पुकार पर सायल की तरफ से न तो कोई उपस्थित है न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विगत कई तिथियों से सायल अनुपस्थित हैं। न्यायालय द्वारा सायल को उपस्थिति हेतु पूर्व में कई अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मुतर्फका वाद में सायल की कोई रुचि नहीं रह गयी है। अतः उपरोक्त मुतर्फका वाद सायल की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मुतर्फका वाद सायल की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज(जू०डि०),

कोर्ट सं० 21 आजमगढ़।

JO Code UP 4798